

7  
143  
[Signature]

नकल उपाधिकारिकाएँ एवं कलेक्टर

आडंबर 30/2011

विद्या भंडारी शिक्षण संस्थान

रहमनगढ़ जेठपुरी काठ शिवपुरी जिला  
90111

बलराम

कागज-143


भंडारा-रहमनगढ़, जिला-मधेसपुर

मजदूर-देवी बस्ती-सुपुल

विहार-कलेक्टर

नकल उपाधिकारिकाएँ एवं कलेक्टर के आदेश दिनांक  
23-03-2011 को दिनांक 30/03/2011





7  
143  
15-1-11

नरक उपाधिकाधिकारी का कागज़

आर.डि. 30/2011

विद्या भंडारी शिक्षण संस्थान

रहस्यरक्षण के लक्ष्य का शिवाजी नगर  
901M

कागज़

कागज़-143

महाराष्ट्र-राज्यपाल, राज्या-महाराष्ट्र

मुंबई-राज्या-राज्यपाल-राज्या

विद्यार्थी-कागज़

नरक उपाधिकाधिकारी का कागज़ का आदेश दिनांक  
23-03-2011 को वापस ले लिया गया है



उप जिलाधिकारी (सदर) गोरखपुर दि. 23-03-2011 (दि. 14/4/11)

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) गोरखपुर

वाद संख्या 37/11  
विद्यामंदिर शिक्षण संस्थान रहमतनगर  
गोरखपुर द्वारा मंत्री शिवजी सिंह  
बनाम  
सरकार

धारा-143  
मौजा-रहमतनगर तप्पा  
मराछी चन्दौर, परगना  
हवेली तहसील-सदर  
जिला गोरखपुर

आदेश

प्रस्तुत वाद में वादी का कथन है कि उक्त मौजा आराजी नम्बर 548/0.058, हे0, 549/0.233 हे0 कुल रकबा 0.291 हे0 यानी -72 डि0 का भूमिधर एवं काबिज है तथा विवादित आराजी पर विद्यालय विद्यामंदिर शिक्षण संस्थान रहमतनगर गोरखपुर का भवन बनकर शिक्षण कार्य करने हेतु तैयार है तथा कृषि कार्य में नहीं लाया जाता है और आवादी के रूप में परिवर्तित हो चुका है जो लगान से अवमुक्त होना न्यायसंगत है।

पत्रावली तहसीलदार, सदर के पास भेजकर आख्या मांगी गयी। तहसीलदार, सदर ने अपनी आख्या दिनांक 17.3.2011 में वादी के कथन को स्वीकार किया है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 17.3.2011 स्वीकार करने योग्य है।

अतः आदेश दिया जाता है कि विद्यालय विद्यामंदिर शिक्षण संस्थान रहमतनगर गोरखपुर द्वारा गुलजारी लाल टिबडेवाल पुत्र स्व0 हरीराम टिबडेवाल निवासी 24-आवास विकास कालोनी बेंतियाहाता शहर गोरखपुर, अध्यक्ष शिव जी सिंह पुत्र स्व0 देवी सिंह निवासी सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर उत्तरी शहर गोरखपुर मंत्री व श्री रामदेव तुलस्यान पुत्र स्व0 प्रभूदयाल निवासी आवास विकास कालोनी बेंतियाहाता शहर गोरखपुर की आराजी संख्या 548/0.058 हे0, 549/0.233 हे0 कुल रकबा यानी -72 डि0 का खतौली में अकृषक/आवादी घोषित किया जाता है। पत्रावली अमलरामद हेतु तहसीलदार, सदर को प्रेषित की जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।



(विजयनाथ पाण्डेय)  
23.3.2011  
उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर)  
गोरखपुर

गोरखपुर  
13/4/11

R-6 के कोर्टीकरण करवा  
24/11/11

- नाम (अपना) - अनूप दान शुकल एस.
- क्रमांक - 13184
- दिनांक - 09-04-2012
- अर्थ - 6200
- अर्थ - 21)
- अर्थ - 15-4-12
- अर्थ - 17-4-12

जारी किया गया है  
दस्तावेज प्रतीक

Handwritten signature and date 17/4/12